क्रम संख्या–14 (क)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 11 फरवरी, 2026 ई0

माघ 22, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

ऊर्जा अनुभाग–2

संख्या– 103/I(2)/2026–05–107/2003

देहरादून, 11 फरवरी, 2026

अधिसूचना

प0 आ0–04

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफॅ उत्तराखण्ड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश भी देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

आर. मीनाक्षी सुन्दरम्
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. **103/I(2)/2026-05-107/2003,** Dehradun dated February 11, 2026 for general information.

No. 103/I(2)/2026-05-107/2003
Dated Dehradun, February 11, 2026

NOTIFICATION

Whereas, the State Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient so to do, Now therefore, the Governor, in exercise of the power under sub section (1) of section-3 of the Uttar Pradesh Essential Service Maintenance Act 1966, (as applicable to the State of Uttarakhand) hereby prohibits with immediate effect strike for six months from the date of publication of this order in ALL CATEGORIES OF STAFF OF UTTARAKHAND JAL VIDHUT NIGAM LTD, UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD AND POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD, and under sub- section (2) of section-3 of the said Act directs that this order be published in gazette.

By Order,

R. MEENAKSHI SUNDARAM,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 ऊर्जा/67–2026–100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।